न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 18 / 2021

1 बाबुलाल आयु 50 साल पुत्र श्री फुलचन्द जाति जाट निवासी कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 महावीर पुत्र मोतीराम
2 श्रीराम पुत्र मोतीराम
3 राजु पुत्र मोतीराम
4 गोपीराम पुत्र मोतीराम
समस्त जाति जाट निवासी कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. ।
5 श्रीमती सुशीला पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
7 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबंधक
8 सुमित्रा देवी पुत्री फुलचन्द पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.
9 शारदा देवी पुत्री फुलचन्द पत्नी रामोतार जाति जाट निवासी ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.03.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दावा उनवानी बाबुलाल बनाम महावीर वगै. दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 101 / 2007 ता. पेशी 08.04.2021

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 19/2021

1 बाबुलाल आयु 50 साल पुत्र श्री फुलचन्द जाति जाट निवासी कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 सुभिता पत्नी बाबुलाल जाति जाट निवासी कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सुमित्रा देवी पुत्री फुलचन्द पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 शारदा देवी पुत्री फुलचन्द पत्नी रामोतार जाति जाट निवासी ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 महावीर पुत्र मोतीराम
4 श्रीराम पुत्र मोतीराम
5 राजु पुत्र मोतीराम
6 गोपीराम पुत्र मोतीराम
समस्त जाति जाट निवासी कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबंधक

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री
दिनांक 15.03.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ दावा उनवानी सुमित्रा देवी वगे. बनाम
बाबूलाल वगै. दावा बाबत घोषणा विभाजन व स्थाई
निषेधाज्ञा मु.नं. 71/2008 ता पेशी 08.04.2021

अनिल कुमार II RAS
उप खण्ड अधिकारी एवं
अति. राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री फुलचंद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 17/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 101/2007, 71/2008 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 364, 370, 365, 520 के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 19/2021 प्रस्तुत की गई है। इन्हीं भूमियों के संदर्भ में विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट बाबुलाल की ओर से दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 18/2021 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की है। तनकीयात पर निर्णय कारणों सहित पारित नहीं किया है। तनकीयात को तैय करने के आधार स्पष्ट नहीं है। तनकी संख्या 1, 2, 4 का निर्णय रेस्पोडेनट संख्या 1 व 2 के पक्ष में तय करने में कानून गलती की गई है। उक्त तनकीयात तय करने के कोई आधार दर्ज नहीं है। जमीन जैर बहस में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कभी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कोई हक हिस्सा क्लेम नहीं किया है। विरासतन नामान्तकरण रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की सहमति से अपीलान्ट संख्या 1 के हक में स्वीकृत हुआ। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 ने जमीन जैर बहस में कोई हक हिस्सा क्लेम नहीं किया। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज किया है। तनकी संख्या 5. से 8 का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध तय करने में कानूनी गलती की है। उक्त तनकीयात को अपीलानटस ने बखुबी साबित किया है। उक्त तनकीयात तय करने के कोई आधार दर्ज नहीं है। जमीन जैर बहस पर दावा दायरी के रोज तथा पहले व वर्तमान में कभी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 का भौतिक कब्जा काश्त नहीं रहा। कब्जे के अभाव में दावा निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया गया है। कानून से बिना कब्जे के घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं था। उपरोक्त कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर निर्णय व प्राथमिक डिक्री जैर बहस पारित की गई है जो खारिज होने योग्य है। जमीन जैर बहस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं होना साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 6 का निर्णय एक दुसरे के विपरित तैय कर कानूनी गलती की गई है। तनकी संख्या 1 में अपीलान्ट को उसकी प्लीडिंग के मुताबिक 122 हिस्से का टिनेन्ट माना गया है और तनकी संख्या 6 में रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का टिनेन्ट होना तैय कर दिया जो एक दुसरे के विरोधाभाषी है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने मनमाने रूप से तनकी संख्या 1 व 6 पर निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भुल की है। तनकी संख्या 6 को रेस्पोडेन्टस संख्या 8 व 9 के पक्ष में साबित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 का जमीन जैर बहस में अपीलानट के साथ हिस्सा मानने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 के पिता की मृत्यु सन 2002 में हुई और रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 की सहमति से विरासत के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण दर्ज हुआ। अपीलान्ट के हक में हुये नामान्तकरण को उक्त रेस्पोडेन्टस ने कभी चुनौती नहीं दी। अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के 6 वर्ष पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 ने बिना कब्जे के दावा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 का जमीन जैर बहस पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा व न है। कब्जे के अभाव में घोषणा का अनुतोष स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने कब्जे के बिन्दु को नजरअंदाज कर निर्णय प्राथमिक डिक्री पारित कर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तथ्य की विधि की भूल की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपनें कथनों के समर्थन में डीएनजे 2018 एससी पेज 289, एआईआर 2008 एससी पेज 930 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 364, 370, 365, 520 के संदर्भ में फुलचंद के नाम दर्ज हिस्से में से वादीगण फुलचंद की पुत्री सुमित्रा व शारदा के विरासतन अधिकार का निर्णय किया जाना था एवं विभाजन के संदर्भ में निर्णय किया जाना था। विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि में फुलचंद का 1/2 हिस्सा स्वीकृत तथ्य है। फुलचंद के बाबुलाल पुत्र, सुमित्रा एवं शारदा पुत्रियां होना भी स्वीकृत तथ्य है। विधि अनुसार विरासतन फुलचंद के हिस्से में फुलचंद की पुत्रियां सुमित्रा व शारदा पुत्र बाबुलाल के समान हक अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजी साक्ष्य का विवेचन कर विधि के आलोक में विचाराधीन निर्णय से सुमित्रा व शारदा का विरासतन हिस्सा घोषित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस पी.डी. जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 364, 370, 365, 520 के संदर्भ में फुलचंद के नाम दर्ज हिस्से में से वादीगण फुलचंद की पुत्री सुमित्रा व शारदा के विरासतन अधिकार का निर्णय किया जाना था एवं विभाजन के संदर्भ में निर्णय किया जाना था। विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि में फुलचंद का 1/2 हिस्सा स्वीकृत तथ्य है। फुलचंद के बाबुलाल पुत्र, सुमित्रा एवं शारदा पुत्रियां होना भी स्वीकृत तथ्य है।

विधि अनुसार विरासतन फुलचंद के हिस्से में फुलचंद की पुत्रियां सुमित्रा व शारदा पुत्र बाबुलाल के समान हक अधिकार घोषित करवाने के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजी साक्ष्य का विवेचन कर विधि के आलोक में विचाराधीन निर्णय से सुमित्रा व शारदा का विरासतन हिस्सा घोषित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस पी.डी. जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)